संख्या–657 / XV–1 / 1(18) / 2005

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2007

विषयः– अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर का सुदृढीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–528 / XV–1 / 1(18) / 2005 दिनांक 05 अगस्त, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रुपया 5.43 लाख (रुपया पांच लाख तैतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	मद	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आगणन की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2006–07 में जारी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2007–08 की स्वीकृति
1.	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	81.50	80.67	0.83
2.	गोबर गैस प्लान्ट का निर्माण / स्थापना	4.60	–	4.60
	कुल योग –	86.10	80.67	5.43

(रुपया पांच लाख तैतालीस हजार मात्र)

उक्त धनराशि का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जायेगा :–

2. उक्त राशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने पर टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आगणनों के सापेक्ष शत् प्रतिशत् वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। अतः स्वीकृत कार्यों को तत्काल पूर्ण कर विभाग को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

5. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

6. स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल पूर्ण किया जाये ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे, निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरुप लागत में वृद्वि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रुप से शासन को उपलब्ध करायी जाये।

7. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनागत पक्ष के अर्न्तगत अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–101–पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–06–अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण–24–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–347(P)/XXVII/2007 दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 के क्रम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–आगणन

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 657 (1)/XV–1/2005–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
10. परियोजना प्रबन्धक यूनिट–1 (निर्माण विंग) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 281 पोखरियाल भवन, देहरादून रोड, ऋषिकेश।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

14/12/2007